भोजपुर समाहरणालय, आरा
(पंचायत प्रशाखा)

आदेश

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या–4045/पं0रा0, दिनांक–25.07.2018 सहपठित ज्ञापांक–4045/पं0रा0, दिनांक–25.07.2018 एवं पत्रांक–4256/पं0रा0, दिनांक–01.08.2018 के आलोक में भोजपुर जिलान्तर्गत अवस्थित अवशेष ग्राम पंचायतों के कार्यालयों को सभी कार्य दिवसों में सरकारी कार्यालयों की भांति संचालित करने, ग्राम पंचायतों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित महत्पूर्ण योजनाओं का प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु ई–पंचायत पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय से संबंधित आकड़ों, रिपोर्टिंग, लेखा विवरण इत्यादि का समयबद्ध प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर के आदेश संख्या–104/2018–19 सहपठित ज्ञापांक–42/स्था0, दिनांक–14.01.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर संधारित कार्यपालक सहायको के पैनल से कुल–33 (तैतीस) कार्यपालक सहायकों का नियोजन संविदा के आधार पर किया जाता है :–

क्र0	कार्यपालक सहायक का नाम	गृह/आवासीय पता
1	2	3
1	श्री सुन्दर लाल शर्मा, पिता–श्री रामाधार शर्मा	मुहल्ला–बरही टोला, वार्ड संख्या–13 जगदीशपुर, भोजपुर
2	श्री पंकज कुमार सिंह, पिता–श्री राज कुमार सिंह	ग्राम–पहरपुर खुर्द, पोस्ट–पवार, थाना–पवना, जिला–भोजपुर
3	श्री न्यू रवि, पिता–श्री कुँअर राम	ग्राम+पोस्ट–राजापुर, थाना–पीरो, जिला–भोजपुर
4	श्री पवन कुमार, पिता–श्री सहदेव	ग्राम+पोस्ट–बड़कागाँव, थाना–तरारी, जिला–भोजपुर
5	श्री संतोष कुमार, पिता–श्री राजेन्द्र सिंह	ग्राम+पोस्ट–अनाईठ, जिला–भोजपुर
6	श्री विवेक कुमार, पिता–श्री रमेश चन्द्र	मुहल्ला–नवादा आरा, जिला–भोजपुर
7	श्री नैयर नवाज, पिता–मोहम्मद फैयाज अहमद	ग्राम+पोस्ट–दौलतपुर, थाना–आरा मुफ्फसील, जिला–भोजपुर
8	श्री जगदीश सिंह, पिता–श्री भरत सिंह	न्यू करमन टोला, आरा, जिला–भोजपुर
9	श्री टिंकू कुमार, पिता–श्री प्रभु राम	ग्राम+पोस्ट–सेमरॉव, थाना–चरपोखरी, जिला–भोजपुर
10	श्री महर्षि कुमार, पिता–श्री जयराम प्रसाद	ग्राम+पोस्ट–भरौली, थाना–शाहपुर, जिला–भोजपुर
11	श्री रवीन्द्र कुमार, पिता–श्री समहुत राम	ग्राम+पोस्ट–सेमरियाँ, थाना–शाहपुर, जिला–भोजपुर
12	श्री चंदन कुमार, पिता–श्री रामा शंकर सिंह	ग्राम–सुन्दरा, पोस्ट–बरनॉव, थाना–आयर, जिला–भोजपुर
13	श्री ओम प्रकाश कुमार, पिता–श्री रमेश सिंह	ग्राम+पोस्ट–एकवारी, थाना–सहार, जिला–भोजपुर
14	श्री सत्यवीर कुमार, पिता–श्री श्याम सुन्दर यादव	ग्राम–कुरावन टोला, पोस्ट–नवादाबेन, थाना–उदवन्तनगर, जिला–भोजपुर

Kirshna ji27

Scanned by CamScanner

15	श्री प्रकाश कुमार, पिता–श्री उमेश चन्द्र प्रसाद	पूर्वी रेलवे गुमटी, आरा, जिला–भोजपुर
16	श्री विजय शंकर प्रसाद, पिता–श्री त्रिनेत्रधारी प्रसाद	ग्राम+पोस्ट–खोपिरा, थाना–पवना, जिला–भोजपुर
17	श्री रघुवीन्द्र कुमार, पिता–श्री वीरेन्द्र पासवान	ग्राम+पोस्ट–करवन, थाना–आरा मुफसील, जिला–भोजपुर
18	श्री रोहित कुमार, पिता–श्री भरत प्रसाद	महाजन टोली, रोड संख्या–2 आरा, जिला–भोजपुर
19	मोहम्मद मुस्ताक अहमद, पिता–शौकत अली	ग्राम+पोस्ट–नोनार, थाना–पीरो, जिला–भोजपुर
20	श्री राजेश कुमार, पिता–श्री शिव भजन साव गौंड	ग्राम+पोस्ट–कटेयाँ, थाना–बिहियाँ, जिला–भोजपुर
21	श्री मनीष कुमार, पिता–श्री रामा शंकर प्रसाद	ग्राम+पोस्ट–नारायणपुर, थाना–पीरो, जिला–भोजपुर
22	श्री अविनाश कुमार सिंह, पिता–श्री प्रभुनाथ सिंह	ग्राम–धरम पिपरा, पोस्ट–ककिला, थाना–जगदीशपुर, जिला–भोजपुर
23	श्री अशोक कुमार राम, पिता–श्री राम अयोध्या दास	ग्राम+पोस्ट–सरथुआँ, थाना–उदवन्तनगर, जिला–भोजपुर
24	श्री संजय कुमार, पिता–श्री सुरेन्द्र प्रसाद	ग्राम+पोस्ट–दुलौर, थाना–जगदीशपुर, जिला–भोजपुर
25	श्री मृत्युंजय नारायण पिता–श्री शिवजी प्रसाद	मुहल्ला–पकड़ी आरा, जिला–भोजपुर
26	श्री दीपक प्रसाद, पिता–श्री रामेश्वर प्रसाद	राजा बाजार बिहियाँ, जिला–भोजपुर
27	मोहम्मद अरशद अली अंसारी, पिता–मोहम्मद ईशा अंसारी	खेतारी मुहल्ला आरा, जिला–भोजपुर
28	श्री इन्द्रजीत कुमार, पिता–श्री रामदेव प्रसाद	मुहल्ला–मनसा पाण्डेय बाग, आरा, जिला–भोजपुर
29	श्री विनय प्रसाद, पिता–श्री राम अयोध्या राम	ग्राम+पोस्ट–वीरपुर, थाना–शाहपुर, जिला–भोजपुर
30	श्री श्रीकांत सौरभ, पिता–श्री त्रिपुरारी प्रसाद	ग्राम+पोस्ट–अनाईठ, आरा जिला–भोजपुर
31	श्री राजीव कुमार, पिता–श्री लखन प्रसाद	ग्राम+पोस्ट–गनपुरा, थाना–नूर सराय, बिहार शरीफ, जिला–नालंदा
32	श्री सनोज कुमार गौंड, पिता–श्री भीमल गौंड	ग्राम–दिघा, चकाई, थानार–धनगाई, जिला–भोजपुर
33	श्री राजीव रंजन कुमार, पिता–श्री रमेश ठाकुर	ग्राम–सितुहारी, पोस्ट–नारायणपुर, थाना–नारायणपुर, जिला–भोजपुर

–: शर्तें :–

1. यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी एवं एक वर्ष के लिए होगा। संविदा अवधि समाप्ति के पश्चात यह नियोजन स्वतः समझा जायेगा तथा इस हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नही होगा। परन्तु आवश्यकतानुसार अथवा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।

2. संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमतीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा।

3. नियोजित कार्यपालक सहायक को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत अनुमान्य संविदा राशि का भुगतान जिला पंचायत राज कार्यालय, भोजपुर द्वारा किया जायेगा। परन्तु इनके संविदा/मानदेय राशि का भुगतान, संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया से प्राप्त उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर देय होगा।

Kirshna ji28

Scanned by CamScanner

4. कार्य संतोषप्रद नही रहने अथवा कार्य योजना समाप्त होने की स्थिति में वगैर कारण बताये किसी भी समय नियोजित कर्मी का नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

5. नियोजन के समय नियोजित कार्यपालक सहायक को एक प्रतिशपथ–पत्र (दण्डाधिकारी का) समर्पित करना होगा, जिसमें उनके विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज नही होने तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित नही किये जाने का उल्लेख हों।

6. नियोजन के समय नियोजित कार्यपालक सहायक को शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र मूल प्रति समर्पित करना होगा। नियोजित कार्यपालक सहायक द्वारा समर्पित प्रमाण–पत्र जाली पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करने के साथ–साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

7. नियोजित कार्यपालक सहायकों को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर जिला पंचायत राज कार्यालय, भोजपुर में योगदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के उपरांत नियोजन हेतु किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

8. संबंधित ग्राम पंचायत में योगदान के समय नियोजित कार्यपालक सहायक को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), पटना के पत्रांक–250 दिनांक–02.05.2011 के आलोक में अपने साथ (क) 01 डेस्कटॉप, (ख) एक प्रिंटर (ग) एक यू0पी0एस0 एवं (घ) इंटरनेट कनेक्सन लाना अनिवार्य होगा। नियोजित कार्यपालक सहायक को कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं इंटरनेट कनेक्सन के लिए कोई राशि देय नही होगा, इस पर होने वाला व्यय नियोजित कर्मी को स्वयं करना होगा। परन्तु इसमें लगने वाली पेपर एवं कॉटिज की आपूर्ति संबंधित नियोजित कार्यालय (ग्राम पंचायत) द्वारा की जायेगी।

9. नियोजन के समय नियोजित कार्यपालक सहायक को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–2401, दिनांक–18.07.2007 के कंडिका–12 के प्रावधानानुसार संलग्न परिशिष्ट–1 में विहित किये गये प्रपत्र के अनुसार राशि–100/– (एक सौ) रूपया के नन–जुडिसियल स्टाम्प पर अद्योहस्ताक्षरी के साथ एकरारनामा सम्पन्न करना होगा।

ह०

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

ज्ञापांक–...106...../जि0पं0, दिनांक–.18../01/2019

प्रतिलिपि :– संबंधित नियोजित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– डी0आई0ओ0,NIC भोजपुर एवं आई0 टी0, NIC मैनेजर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त नियोजनादेश की प्रति जिला के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
प्रतिलिपि :– स्थापना उप समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, भोजपुर, आरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– मिशन निदेशक –सह– सरकार के प्रधान सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

18/01/19

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
भोजपुर, आरा।

Kirshna/29

Scanned by CamScanner